संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 13

दूरसंचार विभाग

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		161.60	77.95	239.55	137.62	116.38	254.00	182.00	87.92	269.92
पूंजी		*2.00*	*...*	*2.00*	*0.01*	*...*	*0.01*	*1.00*	*...*	*1.00*
जोड़		**163.60**	**77.95**	**241.55**	**137.63**	**116.38**	**254.01**	**183.00**	**87.92**	**270.92**
दूरसंचार										
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.37	5.37	...	3.98	3.98	...	4.03	4.03
2.01 प्रशासन महानिदेशालय	3451	...	26.00	26.00	...	35.00	35.00	...	36.54	36.54
2.02 दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र	3451	2.00	10.00	12.00	4.74	9.55	14.29	4.00	9.69	13.69
2.03 सी-डाट	3451	52.00	7.00	59.00	101.00	7.00	108.00	75.00	7.00	82.00
	जोड़	*54.00*	*43.00*	*97.00*	*105.74*	*51.55*	*157.29*	*79.00*	*53.23*	*132.23*
अन्य संचार सेवाएं										
3. अनुवीक्षण सेवाएं	3275	8.60	9.00	17.60	0.55	8.73	9.28	0.25	8.87	9.12
4. भा.टे.उ. को प्रतिपूर्ति	3275	...	...	...	...	4.18	4.18	...	4.00	4.00
5. अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जेनेवा व एशिया प्रशान्त दूरसंचार समुदाय को अंशदान	3275	...	6.05	6.05	...	5.95	5.95	...	6.00	6.00
6. बेतार योजना और समन्वय कार्यक्रम	3275	95.00	2.53	97.53	27.33	2.09	29.42	101.05	2.16	103.21
7. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को अंतरण	3275	4.00	10.00	14.00	4.00	10.00	14.00	1.50	5.00	6.50
8. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण को अनुदान	3275	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	0.20	2.00	2.20
9. भा.सं.नि.लि. को प्रतिपूर्ति	3275	...	1500.00	1500.00	...	2300.00	2300.00	...	2300.00	2300.00
भा.सं.नि.लि. को लाईसेंस फीस में से प्राप्ति घटाकर	1275	...	-1500.00	-1500.00	...	-2300.00	-2300.00	...	-2300.00	-2300.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. पेंशन	2071	...	685.00	685.00	...	703.00	703.00	...	800.00	800.00
भा.सं.नि.लि. से वसूली योग्य अंशदान घटाकर	0071	...	-400.00	-400.00	...	-703.00	-703.00	...	-800.00	-800.00
भा.सं.नि.लि. से प्राप्त ब्याज घटाकर	0049	...	-285.00	-285.00	...	...	...	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. आई टी आई लिमिटेड को ब्याज संबंधी सब्सिडी	2852	...	...	...	...	...	...	...	2.63	2.63
12. वी.एस.एन.एल. को क्षतिपूर्ति	3275	...	...	...	...	127.90	127.90	...	...	...
वी.एस.एन.एल. द्वारा देय प्रविष्टि शुल्क घटाकर	1275	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	*27.90*	*27.90*	...	...	...
ख. पूंजी भाग										
1. दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र	5275	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	...	...	...
2. भारत संचार निगम लिमिटेड को ऋण	7275	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़ पूंजी भाग		**2.00**	**...**	**2.00**	**0.01**	**...**	**0.01**	**1.00**	**...**	**1.00**
जोड़ दूर संचार		**163.60**	**77.95**	**241.55**	**137.63**	**116.38**	**254.01**	**183.00**	**87.92**	**270.92**
कुल जोड़		***163.60***	***77.95***	***241.55***	***137.63***	***116.38***	***254.01***	***183.00***	***87.92***	***270.92***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. भारतीय दूरभाष उद्योग	12859	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	73.00	73.00
2. हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड	12859	...	20.18	20.18	...	...	...	...	...	...
3. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	13225	...	1600.00	1600.00	...	1150.00	1150.00	...	3994.06	3994.06
4. विदेश संचार निगम लिमिटेड	13275	...	1814.66	1814.66	...	945.97	945.97	...	1135.73	1135.73
5. भारत संचार निगम लिमिटेड	13225	...	१६५७४.००	१६५७४.००	...	१६५७३.००	१६५७३.००	१.००	१४०७५.००	१४०७६.००
जोड़		**...**	**२०१३३.८४**	**२०१३३.८४**	**...**	**१८७९३.९७**	**१८७९३.९७**	**१.००**	**१९२७७.७९**	**१९२७८.७९**
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. दूरसंचार और इलैक्ट्रोनिक उद्योग	12859	...	145.18	145.18	...	125.00	125.00	...	73.00	73.00
2. दूरसंचार सेवाएं	13225	...	१८१७४.००	१८१७४.००	...	१७७२३.००	१७७२३.००	...	१८०६९.०६	१८०६९.०६
3. अन्य संचार सेवाएं	13275	१६५.००	१८१४.६६	१९७९.६६	१३८.४३	९४५.९७	१०८४.४०	१८५.००	११३५.७३	१३२०.७३
जोड़		**१६५.००**	**२०१३३.८४**	**२०२९८.८४**	**१३८.४३**	**१८७९३.९७**	**१८९३२.४०**	**१८५.००**	**१९२७७.७९**	**१९४६२.७९**

**इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।*

मांग संख्या-82	0.70	...	0.70	0.10	...	0.10	0.45	...	0.45
मांग संख्या-83	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	1.55	...	1.55
जोड़	**1.40**	**...**	**1.40**	**0.80**	**...**	**0.80**	**2.00**	**...**	**2.00**

राजस्व भाग

1. **सचिवालयः** इसमें संचार से संबंधित भाग के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **निदेशालय (दूरसंचार विभाग):** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के व्यय के लिए है जिसमें दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र और टेलेमैटिक्स विकास केन्द्र शामिल हैं।

अन्य संचार सेवाएंः

3. **बेतार अनुवीक्षण सेवाएं**- बेतार अनुवीक्षण संगठन रेडियो आवृत्ति प्रबन्ध हेतु अनुवीक्षण संबंधी निष्कर्षों के आधार पर तकनीकी और सम्बद्ध आंकड़े उपलब्ध कराता है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कतिपय सांविधिक कार्य पूरे करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों का प्रवर्तन करता है। इसके अतिरिक्त, यह कारगर राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबंध हेतु रेडियो पारेषणों पर हर समय कड़ी निगाह रखता है। इस प्रावधान में स.अ. 2001-02 के 1.95 करोड़ रुपए और योजना के अधीन ब.अ. 2002-03 के बजटीय सहायता से पूरे किए गए 2.25 करोड़ रुपए शामिल हैं।

4. **आई.टी.आई. को क्षतिपूर्ति**- इसमें श्रीनगर यूनिट में इसकी हानियों के लिए आई.टी.आई. को प्रदत्त क्षतिपूर्ति पर व्यय के लिए प्रावधान है।

5. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** ः इसमें अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जेनेवा और एशिया प्रशान्त समुदाय, बैंकाक को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित अनुमान शामिल हैं।

6. **बेतार योजना और समन्वय कार्यक्रमः** यह प्रावधान बेतार-नियोजन और समन्वय स्कन्ध से सम्बन्धित व्यय के लिए हैं। बेतार-नियोजन और समन्वय स्कंध पारेषण और अभिग्राही केन्द्रों के लिए भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 के विभिन्न उपबन्धों के तहत लाइसेंस जारी करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बेतार-आपरेटरों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। इस प्रावधान में योजना के अधीन सं.अ. 2000-01 के 27.33 करोड़ रुपए और ब.अनु. 2002-03 के 101.05 करोड़ रुपए शामिल हैं जिन्हें बजटीय सहायता से पूरा किया गया है।

7. **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण:** इसमें टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया की सामान्य निधि को निधियों से स्थानान्तरित करने संबंधित अनुमान शामिल है। इस प्रावधान में योजना के अधीन सं.अ. 2001-02 के 4.00 करोड़ रुपए और ब.अ. 2002-03 के 1.50 करोड़ रुपए शामिल है जिन्हें बजटीय सहायता से पूरा किया गया है।

8. **दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरणः** इसमें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित व्यय के लिए व्यवस्था है।

9. **ग्रामीण दूरसंचार तंत्र हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड को अनुदानः** इसमें नई दूरसंचार नीति 1999 में यथापरिकल्पित ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायत टेलीफोनों में योजना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बी एस एन एल को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रावधान है। तथापि, लाइसेंस शुल्क के प्रति बी एस एन एल से होने वाली प्राप्तियों में से व्यय को घटाया गया है।

10. **पेंशनः** इसमें भारत संचार निगम लि. में समामेलित कर्मचारियों सहित दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों के लिए प्रावधान है।

11. **आई टी आई को ब्याज सब्सिडीः** इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के भुगतान के लिए जुटाए गए बांडों पर आई टी आई की ब्याज देयताओं पर सब्सिडी को भुगतान के लिए प्रावधान हैं।

12. **वी एस एन एल को क्षतिपूर्तिः** इसमें अंतर्राष्ट्रीय वॉयस ट्रैफिक में वी एस एन एल के एकाधिकार को जल्दी समाप्त करने के बदले क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रावधान है।

पूंजी भाग

इसमें आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से वहन किए जाने के लिए स.अ. 2001-02 में 18793.97 करोड़ रुपए और ब.अ. 2002-03 में 19277.79 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय शामिल है।